

बिहार सरकार
मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग
आदेश

सं0सं0-7/स्था0 (अ0नि0)-01-05/2025/...1104/सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-19300 दिनांक-13.10.2023 में निहित अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था के तहत बिहार मद्यनिषेध अवर सेवा के निम्नांकित सहायक अवर निरीक्षक मद्यनिषेध को अवर निरीक्षक मद्य निषेध में, उसके विहित वेतनमान (वेतन स्तर-6) सहित, अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार दिया जाता है-

क्र0	व0क्र0	सहायक अवर निरीक्षक मद्यनिषेध नाम	गृह जिला	आरक्षण कोटि
1	2	3	4	8
1	1	श्री अमरेन्द्र कुमार	पूर्वी चंपारण	अनारक्षित
2	50	श्री शैलेन्द्र कुमार	वैशाली	पि0व0-2
3	51	श्री सौरभ कुमार	मुंगेर	अनारक्षित
4	52	श्री पप्पू प्रसाद साह	पटना	अनारक्षित
5	54	श्री उदय कुमार	पटना	अनारक्षित
6	56	श्री प्रभाकर चौधरी	पूर्वी चंपारण	अनारक्षित
7	58	श्री सुरेन्द्र कुमार निराला	बेगुसराय	अनारक्षित
8	64	श्री संजय कुमार	गया	अनारक्षित
9	67	श्री नागो लकड़ा	झारखंड	अनु0 जन जाति
10	69	श्री विनोद कुमार प्रसाद	सीवान	अनारक्षित
11	70	श्री वीरेन्द्र कुमार	मुजफ्फरपुर	अनारक्षित
12	73	श्री नरेश पासवान	मुंगेर	अनु0 जाति
13	75	श्री जितेन्द्र कुमार	पटना	अनारक्षित
14	77	श्री धमेन्द्र झा	दरभंगा	अनारक्षित
15	78	श्री मधुसूदन यादव	शेखपुरा	अनारक्षित
16	79	मो0 गुलाब	मुजफ्फरपुर	अनारक्षित
17	81	श्री मदन पासवान	पूर्वी चंपारण	अनु0 जाति
18	82	श्री भरत कुमार झा	मधुबनी	अनारक्षित
19	83	श्री तारकेश्वर पांडेय	पटना	अनारक्षित
20	87	श्री संतोष कुमार	पटना	अनारक्षित
21	88	श्री सुशील कुमार तिवारी	औरंगाबाद	अनारक्षित
22	89	श्री सुरेश कुमार सिंह -2	रोहतास	अनारक्षित
23	92	श्री बौअन मांझी	दरभंगा	अनु0 जाति
24	95	श्री रंजीत कुमार	सहरसा	अनारक्षित
25	96	श्री विरेन्द्र कुमार पाठक	दरभंगा	अनारक्षित
26	97	श्री धनंजय कुमार सिंह	सीवान	अनारक्षित
27	98	श्री राजेश कुमार शर्मा	समस्तीपुर	अनारक्षित
28	99	श्री चन्द्रशेखर कुमार	औरंगाबाद	अनारक्षित

02. यह आदेश सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना सं0 19300 दिनांक 13.10.2023 में निहित शर्तों के अधीन है।

03. उच्चतर पद के साथ विहित वेतनमान का आर्थिक लाभ अवर निरीक्षक मद्यनिषेध के पद पर योगदान की तिथि से अनुमान्य होगा।
04. उपर्युक्त सहायक अवर निरीक्षक मद्य निषेध द्वारा वर्तमान में धारित पद को अगले आदेश तक अवर निरीक्षक मद्य निषेध (वेतन स्तर-6) में उत्क्रमित किया जाता है।
05. उपर्युक्त किसी भी कर्मी के संबंध में भविष्य में किसी प्रकार की त्रुटि या पार्थक्य पाये जाने पर संबंधित कर्मी को प्रदत्त अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार का लाभ प्रदान करने संबंधी आदेश को संशोधित/रद्द कर दिया जायेगा एवं एतद् क्रम में उन्हें भुगतान की गयी राशि की वसूली/प्रतिपूर्ति कर ली जायेगी, जो उन्हें व्यक्तिगत रूप से स्वीकार्य होगा।
06. कार्यकारी प्रभार की यह व्यवस्था माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन सिविल अपील संख्या-4880/2017 बिहार सरकार बनाम सुशील कुमार सिंह एवं अन्य तथा अन्य सम्बद्ध वादों में पारित होने वाले अंतिम आदेश/न्यायादेश के फलाफल से प्रभावित होने के शर्त पर प्रदान की जाती है।
07. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

(संजय कुमार)

सरकार के उप सचिव,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक:-7/स्था0 (अ0नि0)-01-05/2025

1104

पटना, दिनांक:- 6.3.2025

प्रतिलिपि- माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के आप्त सचिव/आयुक्त उत्पाद के आप्त सचिव/सभी जिला कोषागार पदाधिकारी/संयुक्त आयुक्त मद्य निषेध/सभी उपायुक्त मद्यनिषेध/सभी सहायक आयुक्त मद्यनिषेध/सभी अधीक्षक मद्यनिषेध/प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा-01, 8बी (अराजपत्रित) आरोप शाखा/सभी संबंधित सहायक अवर निरीक्षक मद्यनिषेध को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

02. विभागीय आई0टी0 मैनेजर को सूचनार्थ एवं निदेश दिया जाता है कि आदेश विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किया जाय।

सरकार के उप सचिव,
बिहार, पटना।